राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

विधि–60–170/2024
(C.W.J.C. No.8336/2024)
पिंकी सिंह बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य।

–: तार्किक आदेश :–

वाद संख्या–विधि 60–170/2024/ 2791 पटना, दिनांक– 18/06/2025

माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर वाद–C.W.J.C.No- 8336/2024, पिंकी सिंह बनाम बिहार राज्य में दिनांक–22.07.2024 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायनिर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

"5. Taking into account the limited prayer for which the petitioner has come, the writ petition stands disposed of directing the respondent No.2, the State Election Commission to take up the matter, notice all the relevant parties, if still not noticed and then after hearing them and perusing the records, pass an appropriate order preferably within a period of six months form the date, a fresh petition is preferred by the petitioner."

2. उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये उक्त निर्णय के आलोक में दिनांक–29.08.2024 को आयोग में दिये गये representation पर आयोग में वाद पर सुनवाई दिनांक–19.09. 2024, 29.10.2024, 19.11.2024, 17.12.2024 तथा 27.05.2024 को की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में नैसर्गिक न्याय के नियम का अनुपालन करते हुये, श्रीमती पिंकी सिंह (वादी) को अपना पक्ष रखने हेतु पूर्ण अवसर प्रदान किया गया। वादी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अनुरंजन पटेल तथा प्रतिवादी की ओर से श्री आशिफ कलीम एवं नौमान अहमद द्वारा पक्ष रखा गया। जिला प्रशासन की तरफ से श्री पुष्कर कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, रोहतास को अभिलेखों का सत्यापन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्रीमती अनिता देवी, नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर की वार्ड संख्या–19 की वार्ड पार्षद हैं, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में अपने संतानों की संख्या 04 अंकित की है, जिसमें तीन पुत्र एवं एक पुत्री शामिल है, परन्तु उनके द्वारा मिथ्या शपथ–पत्र दायर कर बताया गया है कि उनके सभी संतान Cut-off date-04.04.2008 के पूर्व पैदा हुये है, जबकि वास्तविकता यह है कि उनकी एक पुत्री नेहा कुमारी की जन्मतिथि–20.03.2009 है, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि नेहा कुमारी, Model School, डालमियाँ नगर की छात्रा है, जिसमें नामांकन के समय इनकी जन्मतिथि, नामांकन–पत्र में दिनांक–20.03.2009 अंकित की गयी है। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा Model School, डालमियाँ नगर में नेहा

कुमारी के Admission Form एवं इसके साथ संलग्न जन्म प्रमाण–पत्र का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें नेहा कुमारी की जन्मतिथि–20.03.2009 अंकित है। जन्म प्रमाण–पत्र नगर परिषद्, डिहरी, डालमियाँ नगर से निर्गत है, जिसे निर्गत होने की तिथि– 29.04.2014 है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि इस साक्ष्य के आधार पर ही उनके द्वारा निर्वाची पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं आयोग को अभ्यावेदन दिया था इसी अभ्यावेदन के Logical Conclusion हेतु आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी द्वारा दिये गये, जवाब पर भी अपना पक्ष रखा गया तथा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के जवाब के अनुसार नेहा कुमारी की जन्मतिथि–26.02.2006 है, जबकि गोलू कुमार की जन्मतिथि–15.12.2006 है, अर्थात् दोनों संतानों के मध्य लगभग नौ माह का अन्तर है। ऐसा प्रायः नहीं होता है, हालाँकि विज्ञान के दृष्टि से यह संभव है।

अंत में उनके द्वारा प्रतिवादी को पदमुक्त करने का अनुरोध किया।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके मुवक्किल के कुल–04 संतान है। सभी संतानों की जन्मतिथि– Cut-off date-04.04.2008 के पूर्व का है। आगे उनके द्वारा बारी–बारी से संतानों का नाम, उनकी जन्मतिथि तथा अपने दावें के समर्थन में संलग्न किये गये, अभिलेखों का अवलोकन कराया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि पहली संतान का नाम सोनू कुमार है, जिसकी जन्मतिथि–09.02.2000 है। इसके संबंध में उनके द्वारा नगर परिषद्, डिहरी से दिनांक–09.08.2017 को निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र का अवलोकन कराया गया। दूसरे संतान का नाम मोनू कुमार तथा जन्मतिथि–03.01.2002 का दावा किया गया। आगे उनके द्वारा बताया गया कि प्रश्नगत संतान नेहा कुमारी है, जिसकी जन्मतिथि–26.02.2006 है। इस संबंध में उनके द्वारा एक जन्म प्रमाण–पत्र का अवलोकन कराया गया, जो दिनांक–25.01.2014 को ग्राम–चितरसारी, जिला–औरंगाबाद से निर्गत है। अंत में उनके द्वारा चौथे संतान की जन्मतिथि–15.12.2006 होने का दावा किया गया तथा दावें के समर्थन में नगर परिषद्, डिहरी से दिनांक–09.08.2017 से निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र का अवलोकन कराया गया।

आगे उनके द्वारा बताया गया कि यह मामला आयोग द्वारा पूर्व में ही वाद संख्या–26 / 2018, राखी देवी बनाम् अनिता देवी मामले में निष्पादित किया जा चुका है। अतः यह मामला Res-Judicata से आच्छादित है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा जिस प्रमाण–पत्र के आधार पर उनके मुवक्किल को निरर्हित करने का दावा किया जा रहा है, उसका उद्देश्य नेहा कुमारी का आयु को कम कर Model School, डालमियाँ नगर में नामांकन कराने के लिये जन्मतिथि को वास्तविक जन्मतिथि की अपेक्षा बढ़ाकर अंकित किया गया था। इसका प्रयोग सीमित

उद्देश्यों के लिये किया गया था, क्योंकि नेहा कुमारी की आयु उसके मूल जन्मतिथि के अनुसार अधिक हो गयी थी।

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि दो जन्म प्रमाण–पत्र होने के कारण यह मामला Disputed Question of facts पर आधारित है, साथ ही साथ Res-Judicata के तहत आयोग को पुनः सुनवाई करने का अधिकार नहीं है।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक–557/निर्वा0, दिनांक–26.05.2025 द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा त्रिसदस्यीय जाँचदल जाँच पर सहमति अंकित करते हुये, प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसका सारांश निम्नवत् है:–

i. परिवादी पिंकी सिंह, वार्ड संख्या–19 के द्वारा आवेदन में संलग्न श्रीमती अनिता देवी के तीसरी संतान के संबंध में जन्म प्रमाण–पत्र संलग्न किया गया था। जिसकी जाँच नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, डिहरी के कार्यालय से पंजीकरण संख्या–467, दिनांक–29.04.2014 को निर्गत किया गया है जिसमें नेहा कुमारी का जन्मतिथि–20.03.2009 अंकित है।

ii. परिवादी पिंकी सिंह के द्वारा श्रीमती अनिता देवी के पुत्री का नामांकन से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिसकी जाँच की गयी। श्रीमती अनिता देवी के पुत्री नेहा कुमारी का नामांकन Model School, डालमियाँ नगर में LKG में करायी गयी है, जिसमें जन्मतिथि–20.03.2009 दर्ज है एवं नामांकन की तिथि–2208, दिनांक–08.04.2015 दर्ज है। नामांकन फार्म पर श्रीमती अनिता देवी का हस्ताक्षर भी है।

iii. अनिता देवी के द्वारा 01.04.2006 के बाद कोई भी बच्चे का जन्म नहीं होने के संबंध में नाम निर्देशन दाखिल की गयी है। उनके तीन बच्चों का जन्म प्रमाण–पत्र नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर के कार्यालय से निर्गत किया गया है तथा पता–मुहल्ला लालगंज, डिहरी दर्ज है। उनके द्वारा नेहा कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह रफीगंज से निर्गत है तथा उसमें जन्मतिथि–26.02.2006 दर्ज है, उसमें स्थायी पता–ग्राम चितरसारी, पोस्ट–विसम्भरपुर, थाना–कसमा, जिला–औरंगाबाद दर्ज है तथा पंजीकरण संख्या–24, दिनांक–25.01.2014 दर्ज है।

iv. श्रीमती अनिता देवी के द्वारा कहा गया है कि भूलवश नेहा कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर से निर्गत हुआ है, चूँकि यह कम पढ़ी–लिखी है, राजेश कुमार के द्वारा जन्म प्रमाण–पत्र निर्गत कराया गया है।

<u>प्रस्तुत साक्ष्य एवं जाँच से निम्न निष्कर्ष निकलता है:–</u>

(a) श्रीमती अनिता देवी के द्वारा अपनी तीसरी संतान को दो जन्म प्रमाण–पत्र बनाया गया है, जिसमें पहले का जन्मतिथि–20.03.2009 दर्ज है एवं दूसरे का जन्मतिथि–26.02.2006 दर्ज है, चारों बच्चों का जन्म प्रमाण–पत्र नगर परिषद्, डालमियाँ नगर से निर्गत है तथा पता–लालगंज, डिहरी, वार्ड नं0–19 दर्ज है, जबकि पुनः नेहा कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र,

रफीगंज, औरंगाबाद से निर्गत है एवं पता—ग्राम चितरसारी, पोस्ट—विसम्भरपुर, थाना—कसमा, जिला—औरंगाबाद दर्ज है। नामांकन—पत्र में स्थायी पता—लालगंज, चुना भट्ठा, वार्ड नं0—19, डिहरी दर्ज है। दो पता एंव दो जन्म प्रमाण—पत्र संदेहास्पद प्रतीत होता है।

(b) नेहा कुमारी का नामांकन Model School, डालमियाँ नगर में कराया गया है, जिसमें जन्मतिथि—20.03.2009 दर्ज है तथा 2015 में LKG में नामांकन कराया गया है, अगर अनिता देवी द्वारा प्रस्तुत दूसरा जन्म प्रमाण—पत्र जिसमें जन्मतिथि—26.02.2006 दर्ज है के अनुसार नामांकन कराया गया है, तो 9 वर्ष की बच्ची का नामांकन LKG में कराया जाना संदेहास्पद प्रतीत होता है।

(c) इनके तीसरी संतान जिनका जन्म—20.03.2009 दर्ज है, उसके बाद भी एक पुत्र का जन्म हुआ है, जिसका जन्म प्रमाण—पत्र में उम्र 15.12.2006 दर्ज है तथा उस बच्चे का नाम गोलू कुमार है।

परिवादी पिंकी सिंह के अनुसार उसका जन्म—2010 में हुआ है।

(d) परिवादी के द्वारा कहा गया है कि वह कम पढ़ी—लिखी है, जबकि उनके द्वारा नाम निर्देशन—पत्र के बायोडाटा में 9वीं पास दर्ज कराया गया है।"

6. आयोग द्वारा वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिये गये साक्ष्यों एवं तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)—सह—जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा उपलब्ध कराये गये, सत्यापन—सह—जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण बिहार नगरपालिका अधिनियम—2007(यथासंशोधित) के आलोक में किया गया, तो पाया गया कि प्रतिवादी का Res-Judicata संबंधित तर्क दो कारणों से स्वीकार योग्य नहीं है। प्रथम कारण यह है कि यह Representation माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में निष्पादित किया जा रहा है। द्वितीय कारण यह है कि आयोग में संस्थित विगत् वाद संख्या—26/2018 में पक्षकार के रूप में पिंकी सिंह नहीं थी, बल्कि वह वाद राखी देवी द्वारा दायर किया गया था।

प्रतिवादी के नामांकन—पत्र में यह स्वीकारोक्ति है कि उनके 04 संतान है, क्योंकि उनके द्वारा स्वयं ही अपने पुत्र की संख्या—03 एवं पुत्री की संख्या—01 अंकित की गयी है। प्रतिवादी की पुत्री नेहा कुमारी का जन्म प्रमाण—पत्र (जो Model School में जमा है) एवं Model School, डालमियाँ नगर के नामांकन—पंजी में अंकित जन्मतिथि दिनांक—20.03.2009 एक समान है।

जिला प्रशासन के प्रतिवेदन एवं अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि प्रतिवादी द्वारा जो अन्य प्रमाण—पत्र उपलब्ध कराये गये है, वे सही नहीं है। विशेष कर प्रश्नगत् संतान नेहा कुमारी का जन्म प्रमाण—पत्र जो कि अपने निवास स्थल (रोहतास जिला) के बजाय औरंगाबाद जिला से निर्गत कराया गया है। इसे स्वीकार नहीं करने का दूसरा कारण यह है कि यदि औरंगाबाद जिला से निर्गत जन्म प्रमाण—पत्र पर विश्वास किया जाये, तो नेहा कुमारी का 09 वर्ष की आयु में LKG कक्षा में नामांकन हुआ है, जो कि वर्तमान CBSE/BSEB/ICSE Norms के विरूद्ध है। यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि प्रतिवादी विगत् निर्वाचनों में भी निर्वाचित हुयी है और उन्हें अयोग्यता संबंधी प्रावधानों का संज्ञान है। इसी कारण चारों संतानों का जन्म प्रमाण—पत्र नगर परिषद् डिहरी से कराया गया, परन्तु ज्यों हि नेहा कुमारी के संबंध में परिवाद दिया गया, उनके द्वारा अयोग्यता के प्रावधानों के बचने हेतु

औरंगाबाद के ग्राम पंचायत से अपनी पुत्री नेहा कुमारी का एक अलग जन्म प्रमाण–पत्र कर निर्गत करा लिया। उक्त प्रमाण–पत्र को अस्वीकृत करने का दूसरा कारण यह भी है कि प्रतिवादी के सभी संतानों का जन्म प्रमाण–पत्र नगर परिषद्, डिहरी, डालमियाँ नगर से निर्गत कराया गया है, जो कि प्रतिवादी का सामान्य निवास स्थल है, जबकि चितरसारी, रफीगंज, औरंगाबाद से निर्गत कराये गये, जन्म प्रमाण–पत्र में स्थायी पता ग्राम चितरसारी, पोस्ट–विसम्भपुर, थाना–कसमा, जिला–औरंगाबाद दर्ज है, जबकि प्रतिवादी का स्थायी पता–लालगंज, चुना भट्ठा, वार्ड संख्या–19, डिहरी नगर परिषद्, डालमियाँ नगर है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी को कुल 04 संतान है, जिसमें से दो संतानों का जन्म Cut off date- 04-04-2008 के उपरांत हुआ है, जिसमें से एक संतान नेहा कुमारी की जन्मतिथि–20.03.2009 है, जिसका प्राथमिक साक्ष्य नामांकन–पंजी में अंकित जन्मतिथि एवं जन्म प्रमाण–पत्र में अंकित जन्मतिथि साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। इस अभिलेखीय साक्ष्य को सबसे अधिक महत्व प्रदान करने का कारण यह है कि स्वयं प्रतिवादी अर्थात् अनिता देवी द्वारा इन्हें अपने हस्ताक्षर के साथ Model School, डालमियाँ नगर में जमा किया गया है तथा उनके द्वारा स्वयं ही संलग्न सभी अभिलेखों के सही होने तथा School के अनुशासन के मानने संबंधी घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। अतः प्रतिवादी का यह दावा की मामला Disputed Question of Facts आधारित है, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती अनिता देवी को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करती थी, इसके बावजूद वे तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहीं।

इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती अनिता देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, नगर परिषद् डिहरी, डालमियाँ नगर, जिला–रोहतास का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) जिला पदाधिकारी रोहतास श्रीमती अनिता देवी के विरूद्ध गलत हलफनामा एवं तथ्य छुपाने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–447 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार विधिक कार्रवाई हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) एवं जिला दण्डाधिकारी, रोहतास के रूप में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना अपरिहार्य है। अतएव इस संबंध में इनके स्तर से अनुवर्ती कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त आदेश के साथ दायर representation को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाए।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
18.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

ह0/–
(डॉ0 दीपक प्रसाद)
18.06.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना।

वाद संख्या–विधि 60–170/2024/ 2791 पटना, दिनांक– 18/06/2025

प्रतिलिपि–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

वाद संख्या–विधि 60–170/2024/ 2791　　　　पटना, दिनांक– 18/06/2025

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **रोहतास**/उप निर्वाचन पदाधिकारी, **रोहतास** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप निर्वाचन पदाधिकारी, **रोहतास** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

18/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

वाद संख्या–विधि 60–170/2024/ 2791　　　　पटना, दिनांक– 18/06/2025

प्रतिलिपिः–श्रीमती पिंकी सिंह,पति–श्री व्याख्या नारायण, ग्राम–चुना भट्ठा, वार्ड संख्य–19, पोस्ट–डालमियाँ नगर, थाना–डिहरी, जिला–**रोहतास**–821307 एवं श्रीमती अनिता देवी, (पदमुक्त वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या–19, पति–स्व0 संजय राम, पोस्ट–डालमियाँ नगर, थाना–डिहरी, जिला–**रोहतास**–821307 को सूचनार्थ प्रेषित।

18/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी

वाद संख्या–विधि 60–170/2024/ 2791　　　　पटना, दिनांक– 18/06/2025

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/25

विशेष कार्य पदाधिकारी